विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार सिमोन सोरेंग पिता - जोहन सोरेंग को खारा नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के कोई भी उपस्थित नहीं हुआ द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम पालेमुण्डा खाता सं.-101, खेसरा सं० 2288, 2289, 1942 रकबा-1.20 ए० वर्ष X का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान कोई भी प्रस्तुत नहीं हुआ है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

31-08-2021

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है। रा०उ०नि० एवं अं०नि० ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम पालेमुण्डा खाता न० 101 प्लॉट न० 2288, 2289, 1942 सर्वे खतियान में किस्म बड़ा जंगल दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 के कंडिका–5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा०उ०नि० एवं अ०नि० ने जमाबन्दी रद करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सिमोन सोरेंग पिता - जोहन सोरेंग ग्राम - पालेमुण्डा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :–

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
पालेमुण्डा	63	101	2288 2289 1942	1.20 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका–5 के उप कंडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/ रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
बोलबा
31/8/21

अंचल अधिकारी,
बोलबा
31/8/21

Digitally signed by Baliram Manjhi
Date: 2021.09.02 15:55:38 +05:30
Location: 192.168.9.65

Scanned with CamScanner